कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 23/09/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 22.09.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कोतवाली, गाजीपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 21.09.2025 को महाराजगंज कस्बा में 75000/ रुपये की लूट करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 21.09.2025 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा महाराजगंज कस्बा से 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वादिनी के द्वारा 75000/- रुपयों से भरे बैग को लेकर महाराजगंज कस्बा से छावनी लाईन जाते समय 02 अभियुक्तों वकील कुमार बिन्द तथा राजेश कुमार बिन्द द्वारा छीन लिया गया, भागते समय स्थानीय लोगों द्वारा दोनों अभियुक्तों को पकडकर पुलिस टीम को सुपुर्द किया गया। अभियुक्तगण के पास से आवेदिका का लूटा गया 75000/ रुपये बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली गाजीपुर पर मु0अ0सं0 729/25 धारा 309(4),317(2) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. वकील कुमार बिन्द पुत्र रामवृत बिन्द निवासी सकरा मडहुआ थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष
2. राजेश कुमार बिन्द पुत्र जीता बिन्द निवासी सकरा मडहुआ थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 26 वर्ष

बरामदगी-

1. लूट का 75000/ रुपये
2. घटना मे प्रयोग मोटर साइकिल स्प्लेण्डर नं0 UP61BP7337

अभियुक्तगण उपरोक्त आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 729/25 धारा 309(4),317(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

02. थाना दुल्लहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.09.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर वाद संख्या – 1852 अन्तर्गत धारा 126/135 से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी इम्तियाज अहमद पुत्र स्व0 मो0 हाफिज को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- इम्तियाज अहमद पुत्र स्व0 मो0 हाफिज नि0 ग्रा0 मलेठी पाही थाना दुल्लहपुर गाजीपुर

03. थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा 02 बोलेरो वाहन में चोरी के 213.500 किलो ताँबे के तार व 65.30 किलो एल्युमिनियम के तार(अनुमानित कीमत लगभग 02 लाख रूपये) के साथ 04 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.09.2025 को थानाध्यक्ष खानपुर शैलेन्द्र प्रताप सिंह, उ0नि0 कमल भूषण रायम मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर बहेरी डगरा के पास से 04 नफर अभियुक्त 01. चन्दन पुत्र स्व0 बाकेलाल 2. रामसकल पुत्र स्व0 बाकेलाल 3. संजय पुत्र स्व0 पन्नालाल 4. पंकज पुत्र स्व0 बाकेलाल को 02 बोलेरो वाहन संख्या WB 40 AM 5600 व WB 40 AK 7205 में चोरी के 213.5 किलो ताँबे व 65.30 किलो एल्युमिनियम के तार (अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख रुपये) के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 224/25 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. चन्दन पुत्र स्व0 बाकेलाल निवासी ग्राम चन्दवक घाट थाना चन्दवक जनपद जौनपुर
2. रामसकल पुत्र स्व0 बाकेलाल निवासी ग्राम चन्दवक घाट थाना चन्दवक जनपद जौनपुर
3. संजय पुत्र स्व0 पन्नालाल निवासी ग्राम खानापट्टी गायघाट थाना सिकरारा जनपद जौनपुर
4. पंकज पुत्र स्व0 बाकेलाल निवासी ग्राम चन्दवक घाट थाना चन्दवक जनपद जौनपुर

अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 264/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

अभियुक्त चन्दन का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 264/2025 धारा 317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना खानपुर जनपद गाजीपुर
02. मु0अ0सं0 274/2023 धारा 323,504,506 भादवि थाना चन्दवक जनपद जौनपुर
03. मु0अ0सं0 118/2025 धारा 137(2), 61(2) बीएनएस थाना चन्दवक जनपद जौनपुर

बरामदगी-
02 बोलेरो वाहन में चोरी का 213.500 किलो ताँबे व 65.30 किलो एल्युमिनियम का तार
(कीमत - लगभग 2 लाख रुपये)

04. प्रेस नोट जनपद गाजीपुर
दिनांक 22.09.2025
आदरणीय महोदय सराहनीय कार्य जनपद गाजीपुर

"श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर पॉक्सो एक्ट के अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 60,000/-रू अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई सजा।

दिनांक 22.09.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 119/2024 धारा – 70(2),74, 351(3) बीएनएस व 5G/6, 9G/10 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तगण 1. बबलू राम पुत्र टेल्हुराम 02. चन्द्रशेखर पुत्र नाथूराम निवासीगण ग्राम पलिवार थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर धारा 5G/6 के तहत आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 20,000-20,000 रु0 अर्थदण्ड, धारा 74 बीएनएस में प्रत्येक को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000-5,000 रु0 अर्थदण्ड तथा धारा 9G/10 पॉक्सो एक्ट में प्रत्येक को 05-05 वर्ष का साधारण कारावास व 5,000-5,000 रु0 अर्थदण्ड, धारा 351(3) बीएनएस के तहत प्रत्येक अभियुक्त को 05-05 वर्ष का साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया की सजा से दण्डित किया गया

05. थाना कासिमाबाद पुलिस टीम द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.09.2025 को उ0नि0 पुष्पेश चन्द्र दुबे मय हमराह के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर रसुलपुर तिराहा से 01 नफर अभियुकत को अवैध 01 अदद तमंचा व कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 350/2025 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –
अबुशार कुरैशी पुत्र मो0 अफाजाल कुरैशी नि0ग्राम वार्ड नं0 13 कस्बा बहादुरगंज थाना कासिमाबाद गाजीपुर
अपराधिक इतिहास–
1. मु0अ0सं0 350/2025 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना कासिमाबाद गाजीपुर

06. थाना सुहवल पुलिस टीम द्वारा 04 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 21.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक राज नारायण एवं उ0नि0 विरेन्द्र राय मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम गरुआ

मकसूदपुर में जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तों 1. विवेक उर्फ रावण पुत्र स्व0 मुन्ना राय 2. पवन गुप्ता पुत्र विजय संकर गुप्ता 3. प्रकाश राय पुत्र विष्णु कुमार राय 4. कन्हैया राम पुत्र कोमल राम निवासीगण ग्राम गरूआ मकसूदपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों की जामा तलाशी से 52 ताश के पत्ते व 1120 रुपये बरामद हुआ। अभियुक्त विवेक उर्फ रावण के पास से 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर बरामद हुआ। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 94/2025 धारा 13 जुआ अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-</u>

1. विवेक उर्फ रावण पुत्र स्व0 मुन्ना राय
2. पवन गुप्ता पुत्र विजय संकर गुप्ता
3. प्रकाश राय पुत्र विष्णु कुमार राय
4. कन्हैया राम पुत्र कोमल राम निवासीगण ग्रा0 गरूआ मकसूदपुर थाना सुहवल जनपद गाजीपुर

<u>बरामदगी-</u>

एक अदद तमंचा देशी .315 बोर व 1120 रु0

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर